-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बबेरु क्षेत्र में वर्ष-2021 में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को दिलाई गई 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना बबेरु क्षेत्र में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम सतन्याव के रहने वाले अमर यादव ने दिनांक 10.11.2021 को अपनी पत्नी सीमा की दहेज के लिए हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.11.2021 को मृतका के पिता गया प्रसाद यादव निवासी गुरेह की तहरीर पर थाना बबेरु पर मु0अ0सं0- 347/21 धारा 498ए/304बी/316 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालिन क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री सियाराम द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार राजपूत तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से मा0 न्यायालय बांदा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **अमर यादव पुत्र चुनकौना निवासी सतन्याव थाना बबेरु जनपद बांदा।**

अभियोजक
श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी

विवेचक
पु0उपा0 श्री सियाराम

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 अमित राजपूत

पैरोकार
आ0 चक्रधारी